राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/276 दिनांक : 20/7/09

–: परिपत्र :–

निदेशालय में पदस्थापित विभिन्न अधिकारी जिन्हें जिला का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया हैं, उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को निम्नांकित कमियों की जानकारी उपलब्ध कराई हैं :–

1. चिकित्सक एपरेन पहनकर चिकित्सालय में आयेगें।
2. पैरा मेडिकल स्टॉफ वर्दी पहनकर चिकित्सालय में आयेंगें।
3. आउट डोर में आने वाले मरीजों का इन्द्राज नहीं किया जा रहा हैं, इसी प्रकार जहां इन्डोर की सुविधा हैं वहां अलग से इन्डोर रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा हैं।
4. मूवमेन्ट रजिस्टर का संधारण नहीं किया जा रहा हैं।
5. फील्ड स्टॉफ भी अपनी निर्धारित वर्दी पहनकर फील्ड में भ्रमण करेंगें।

अतः सभी नियत्रंण अधिकारियों यह निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने अधीन आने वाली संस्थाओं में उपरोक्त कमियों का निराकरण अविलम्ब करावें और भविष्य में इस तरह की पुनरावृति पाई जाने पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता हैं। निरीक्षण के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जावें और अनुपालना रिपोर्ट समय–समय पर अति0 निदेशक (चिकित्सा प्रशासन) को भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/276 दिनांक : 20/7/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0आर0एच0एम0/आर0एच0एस0डी0पी0/निदेशक, आई0ई0सी0।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, आर0सी0एच/एड्स/ई0एस0आई0।
6. अति0 निदेशक, राजपत्रित/प्रशासन/आर0सी0एच0/ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन/आई0ई0सी0।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त डिलींग सहायक, निदेशालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

13/7/09